रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939
No. 330] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/ VAISAKHA 11, 1939

विदेश मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 420(अ).—भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया सरकार के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर 20 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए और मलेशिया ने बाद की अधिसूचना तारीख 13 जनवरी, 2011 को संधि से संबंधित अपनी आंतरिक विधिक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के विषय में सूचित किया;

और इस संधि के अनुच्छेद 22 के उपबंधों के अनुरूप 13 फरवरी, 2011 से उक्त प्रत्यर्पण संधि को प्रवृत्त किया गया;

और उक्त प्रत्यर्पण संधि इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि अध्याय 3 के उपबंधों से भिन्न उक्त अधिनियम के उपबंध मलेशिया पर उक्त संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे ।

अनुसूची

"भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया सरकार के मध्य प्रत्यर्पण संधि

भारत गणराज्य की सरकार और मलेशिया सरकार, जिन्हें इसके पश्चात् "संविदाकारी राज्य" कहा गया है;

अपराधियों के परस्पर प्रत्यर्पण का प्रावधान करके अपराध की रोकथाम में दोनों देशों के सहयोग में वृद्धि करने की इच्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद – एक
प्रत्यर्पण के प्रति दायित्व

संविदाकारी राज्य एक-दूसरे राज्य के प्रदेश में पाए गए, अभियोजन के लिए वांछित किसी अभियुक्त अथवा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए दंड अधिरोपित करने अथवा लागू करने के लिए वांछित किसी दोषसिद्ध व्यक्ति

को अपने कानून और इस करार में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अध्यधीन एक-दूसरे को प्रत्यर्पित करने पर सहमत हैं चाहे इस प्रकार का अपराध इस संधि के लागू होने से पहले या बाद में किया गया हो ।

अनुच्छेद – दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. प्रत्यर्पण उन अपराधों के मामले मे किया जाएगा जो कैद द्वारा दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि या मृत्यु के लिए दंडनीय हैं ।

2. कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा जब पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी अपराध को करने का प्रयास अथवा उसको करने के लिए षडयंत्र अथवा उसको करने के लिए प्रेरित किया गया है ।

3. कोई भी अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा बेशक यह विशुद्ध रूप से वित्तीय स्वरूप का हो ।

4. इस अनुच्छेद के उद्देश्य से कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा यदिः

(क) इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून अपराध के घटक कृत्यों अथवा चूकों को अपराध की समान श्रेणी में रखते हैं अथवा उन्हें उसी शब्दावली द्वारा अभिहित करते हैं; अथवा

(ख) अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रस्तुत कथित कृत्यों अथवा चूकों की समग्रता को ध्यान में रखा जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपराध के संघटक तत्व संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न हैं ।

अनुच्छेद – तीन

राष्ट्रीयता

1. इस संधि के तहत अपने राष्ट्रिक के प्रत्यर्पण की अनुमति होगी।

2. यदि किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अपने राष्ट्रिक का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर तथा यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून इसकी अनुमति देता है तो अभियोजन के उद्देश्य से इसके सक्षम प्राधिकारियों को मामले को प्रस्तुत करेगा ।

3. इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए अपराध के कृत्य के समय राष्ट्रीयता निर्धारित की जाएगी ।

अनुच्छेद – चार

अधिकार क्षेत्र

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य समझता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है तो वह प्रत्यर्पण के लिए मना कर सकता है। इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिए अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भू-भाग, इसके वायु क्षेत्र तथा भू-भागीय जल अथवा समुद्रवर्ती क्षेत्र से है जिस पर अधिकार क्षेत्र का दावा करता है तथा उस राज्य में पंजीकृत किसी नौका अथवा हवाई जहाज से है यदि ऐसा हवाई जहाज अथवा नौका समुद्र क्षेत्र अथवा उड़ान पर है। यदि इस पैराग्राफ के अनुसरण में प्रत्यर्पण के लिए मना किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अभियोजन हेतु अपने सक्षम प्राधिकारियों को मामले को प्रस्तुत करेगा ।

2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामले में अभियोजन करने की कार्यवाही करने में असमर्थ हैं, तो इस करार के अनुसार प्रत्यर्पण के अनुरोध पर पुनः विचार किया जाएगा ।

3. यदि अनुरोधकर्ता राज्य के भू-भाग से बाहर अपराध किया गया है तो प्रत्यर्पण तभी प्रदान किया जाएगा जब अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानूनों में समान परिस्थितियों में उसके भू-भाग से बाहर किए गए अपराध के लिए सजा का प्रावधान हो तथा इस संधि के तहत प्रत्यर्पण की आवश्यकताएं अन्यथा पूरी होती हों। यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कार्यकारी प्राधिकारी अपने स्वनिर्णय से प्रत्यर्पण के लिए मना कर सकता है ।

अनुच्छेद – पांच
पूर्व अभियोजन

1. जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है यदि उसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उस व्यक्ति को गिरफ्तार, रिहा अथवा माफ किया गया है, तो प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा ।

2. इस तथ्य दवारा प्रत्यर्पण बाधित नहीं होगा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में प्राधिकारियों ने उन कृत्यों जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के लिए मांगे व्यक्ति को अभियोजित न करने का निर्णय लिया है, अथवा उन कृत्यों के लिए मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया है ।

अनुच्छेद – छह
समर्पण पर प्रतिबंध

1. किसी भगोड़े अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य संतुष्ट है कि-

(क) वह अपराध जिसके लिए व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है अथवा उसे दोषसिद्ध किया गया है, वह अपराध राजनैतिक स्वरूप का है; अथवा

(ख) जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की मांग की गई है यदि उस अपराध हेतु अभियोजन अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुसार कालातीत हो गया है ।

2. इस करार के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगाः-

(क) राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष अथवा उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को जान से मारने अथवा जान से मारने का प्रयास करने से संबंधित अपराध;

(ख) ऐसा अपराध जिसके संबंध में संविदाकारी राज्यों का यह दायित्व है कि वे प्रत्यर्पण करने अथवा किसी पहुपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत मामले को अभियोजन के लिए अपने सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत करें;

(ग) उपर्युक्त में से किसी अपराध को करने, उसमें भाग लेने अथवा उकसाने का षडयंत्र अथवा प्रयास करना।

3. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कार्यकारी प्राधिकारी प्रत्यर्पण के लिए मना कर सकता है-

(क) सैनिक कानून के अंतर्गत अपराध हेतु जोकि सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है; अथवा

(ख) यदि निम्न के कारण ऐसा प्रतीत होता है-

(i) मामले की हल्की प्रकृति; अथवा

(ii) वापसी हेतु आवेदन सद्विश्वास अथवा न्याय के हित को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया है अथवा यह राजनैतिक कारणों से दिया गया है अथवा अन्य किसी कारण से दिया गया है, सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुरोधकर्ता राज्य को व्यक्ति को सौंपना अविवेकपूर्ण अथवा विषादपूर्ण होगा ।

अनुच्छेद – सात
आस्थगित समर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध पर अपना निर्णय देने के पश्चात उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से अथवा यदि उस व्यक्ति को पहले से ही दोषसिद्ध किया जा चुका है, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है उसके अलावा अपराध के लिए सजा लागू करने के उद्देश्य से मांगे गए व्यक्ति के समर्पण को आस्थगित कर सकता है। ऐसे मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य तदनुसार अनुरोधकर्ता राज्य को सुझाव देगा ।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य समर्पण को आस्थगित करने की बजाय संविदाकारी राज्यों के बीच निर्धारित शर्तों के अनुसार मांगे गए व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को अस्थाई रूप से समर्पित कर सकता है ।

अनुच्छेद – आठ
प्रक्रिया और दस्तावेज

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा। अनुरोध, सहायक दस्तावेज और बाद में किए जाने वाले पत्र व्यवहार राजनयिक चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा और पत्र व्यवहार का चैनल संविदाकारी राज्य द्वारा अभिकल्पित प्रक्रिया के अनुरूप होगा ।

2. अनुरोध सांविधिक घोषणा अथवा शपथ संबंधी विवरण द्वारा समर्थित होगा अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी निम्नवत पुष्टि की जाएगी-

(क) जहां तक संभव हो वांछित व्यक्ति का सटीक विवरण, साथ ही उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और स्थान निर्धारित करने में सहायक कोई अन्य सूचना;

(ख) अपराध के तथ्य दर्शाने वाली सूचना;

(ग) अपराध की व्याख्या करने वाले कानून के संगत प्रावधानों का पाठ (मामला संबंधी कानून, सहित यदि कोई हो) अपराध के लिए संगत कानून संबंधी विवरण और दंड का विवरण, जिसे अपराध के लिए लगाया जा सकता है; और

(घ) दस्तावेज, विवरण अथवा अन्य प्रकार की सूचना अथवा जो इस अनुच्छेद के पैरा 3 अथवा 4 में विनिर्दिष्ट साक्ष्य, जैसा लागू हो ।

3. अभियोजन के लिए वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी, पैरा 2 में संदर्भित सूचना के अतिरिक्त, सांविधिक घोषणा अथवा शपथ संबंधी विवरण द्वारा समर्थित होगा अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी निम्नवत पुष्टि की जाएगी-

(क) किसी न्यायालय अथवा अन्य सक्षम न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जारी वारंट अथवा गिरफ्तारी का आदेश अथवा उस वारंट अथवा आदेश की प्रमाणित प्रति;

(ख) अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आरोप संबंधी दस्तावेज की एक प्रति अथवा रिपोर्ट/विवरण जिसमें कृत्यों का विवरण शामिल हो और/अथवा चूक जिसके तहत कथित अपराध किया गया हो जिसमें अपराध किए जाने का समय और स्थान का उल्लेख शामिल है; और

(ग) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अनुसार ऐसा साक्ष्य जिसके द्वारा अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के साक्ष्य संबंधी मानकों को तदनुसार स्थापित करेगा कि वह व्यक्ति किए गए अपराध का एक पक्षकार है ताकि उसके अभियोजन का औचित्य ठहराया जा सके यदि वह अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के तहत किया गया था। बशर्ते कि दोनों में से कोई राज्य इस करार के उपरांत प्रत्यर्पण की शर्त के रूप में यह अपेक्षा नहीं करेगा कि अन्य राज्य प्रत्यर्पण के लिए मांगे गए व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टतया मामला प्रमाणित करे ।

4. किसी ऐसे व्यक्ति जिसका दोषसिद्ध अथवा कारावास हो गया है अथवा दोषसिद्ध हुआ है, परंतु अभी तक कारावास नहीं हुआ है, से संबंधित प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी सांविधिक घोषणा अथवा शपथ-संबंधी विवरण द्वारा समर्थित होना चाहिए और अनुरोधकर्ता राज्य के किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसकी निम्नवत पुष्टि की जानी चाहिए-

(क) दोषसिद्ध के फैसले की प्रमाणित प्रति अथवा यदि ऐसी प्रति उपलब्ध न हो तो न्यायिक प्राधिकरण का विवरण कि उस व्यक्ति को दोषी पाया गया है;

(ख) सूचना जिससे स्थापित हो कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसके संबंध में दोष का निष्कर्ष संदर्भित है; और

(ग) यदि वांछित व्यक्ति को सजा दी गई है तो दी गई सजा की एक प्रमाणित प्रति और एक विवरण जिसके तहत यह स्थापित हो कि किस सीमा तक सजा कार्यान्वित की गई है ।

अनुच्छेद – नौ

अनंतिम गिरफ्तारी

1. अत्यावश्यकता के मामले में संविदाकारी राज्य वांछित व्यक्ति की अनंतिम गिरफ्तारी के लिए प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के प्रस्तुतिकरण को लंबित रखते हुए अनुरेध कर सकता है। अनंतिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन अनुच्छेद आठ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार राजनयिक चैनलों के माध्यम से अथवा अंतर्राष्ट्रीय दांडिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के माध्यम से भेजा जा सकता है।

2. अनंतिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) वांछित व्यक्ति का विवरण;

(ख) वांछित व्यक्ति का स्थान, यदि मालूम हो;

(ग) किए गए अपराध और अपराध के समय और स्थान सहित मामले का तथ्यपरक विवरण;

(घ) उल्लंघन किए गए कानून का विवरण;

(ङ) वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के वारंट अथवा उसकी मौजूदगी का विवरण अथवा दोषसिद्धि के निर्णय अथवा दोष के निष्कर्ष की प्रति; और

(च) यह विवरण कि वांछित व्यक्ति के लिए प्रत्यर्पण के लिए बाद में अनुरोध किया जाएगा।

3. आवेदन प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा। अनुरोधकर्ता राज्य को, इसके आवेदन के निपटान में बिना किसी विलंब और किसी मनाही के कारणों के, अधिसूचित किया जाएगा।

4. वह व्यक्ति जिसे अनंतिम रूप से गिरफ्तार किया गया है, उसे इस संधि के पश्चात अनंतिम गिरफ्तारी की तारीख से साठ (60) दिन बीत जाने पर हिरासत से छोड़ दिया जाएगा, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध और अनुच्छेद आठ में अपेक्षित सहायता दस्तावेज प्राप्त हो गया है। अनुरोधकर्ता राज्य के आवेदन पर यह अवधि अतिरिक्त तीस (30) दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसरण में हिरासत से व्यक्ति को छोड़े जाने से बाद में उस व्यक्ति की पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण से बचाया नहीं जाएगा। यदि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध और सहायक दस्तावेज बाद की तारीख में प्राप्त होते हैं।

अनुच्छेद – दस

अतिरिक्त दस्तावेज

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह मानता हो कि किसी व्यक्ति के समर्पण के लिए अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं तो इस संधि के अनुसार वह राज्य आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करेगा और उसका कारण बताते हुए अनुरोधकर्ता राज्य के आवेदन के उपरांत समय-सीमा के उचित विस्तार की मंजूरी प्रदान करेगा।

2. यदि वांछित व्यक्ति हिरासत में है तथा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं अथवा यदि ऐसे दस्तावेज अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस व्यक्ति को हिरासत से रिहा किया जाए। यदि उसके बाद ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसी रिहाई से उस व्यक्ति का आत्मसमर्पण तथा फिर से गिरफ्तारी प्रभावित नहीं होगी।

अनुच्छेद – ग्यारह

समवर्ती अनुरोध

यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अन्य संविदाकारी राज्य अथवा किसी अन्य राज्य व राज्यों से उसी अपराध अथवा अलग अपराध के लिए उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध प्राप्त करता है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कार्यपालक प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि वह व्यक्ति किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाएगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता

राज्य यह निर्णय लेते समय निम्नलिखित सहित सभी संबद्ध कारकों पर विचार करेगा परंतु उन तक सीमित नहीं रहेगा-

(क) क्या ये अनुरोध किसी संधि के अनुसरण में किए गए थे;

(ख) वह स्थान जहां प्रत्येक अपराध किया गया था;

(ग) अनुरोधकर्ता राज्य के संबंधित हित;

(घ) अपराध की संगीनता;

(ङ) प्रभावित व्यक्ति की राष्ट्रीयता;

(च) अनुरोधकर्ता राज्यों के बीच आगे प्रत्यर्पण की संभावना; तथा

(छ) अनुरोधकर्ता राज्यों से प्राप्त अनुरोधों के समय पर आदेश।

अनुच्छेद – बारह

अनुवाद

1. जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा ऐसी अपेक्षा का अधित्याग न किया गया हो, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाएगा ।

2. इस संधि के अंतर्गत किन्हीं अनुरोधों के समर्थन में प्रस्तुत किन्हीं दस्तावेजों, जिनका अनुरोधकर्ता राज्य की भाषा से पूर्व में अनुवाद किया गया था, को अनुरोधकर्ता राज्य के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही अनुवाद के रूप में सम्यक रूप से प्रमाणित किया जाएगा ।

अनुच्छेद – तेरह

दस्तावेजों की अधिप्रमाणन

1. गिरफ्तारी का वारंट अथवा दोषसिद्धि स्थापित करने वाले न्यायिक दस्तावेज और किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ से की गई अथवा पुष्ट की गई कोई अपराधस्वीकृति अथवा वक्तव्य अथवा अन्य साक्ष्य और उसकी कोई प्रमाणित प्रति प्रत्यर्पण के लिए किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएगीः

(क) यदि वारंट के मामले में हस्ताक्षर करके अथवा किसी अन्य मूल दस्तावेज के मामले में अनुरोधकर्ता राज्य के किसी जज, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करके और प्रति के मामले में मूल की सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित करके अधिप्रमाणित की गई हो; और

(ख) जहां अनुरोधकर्ता राज्य भारत गणराज्य है, विदेश मंत्री अथवा विदेश राज्य मंत्री की सरकारी मोहर लगाकर हो और जहां अनुरोधकर्ता राज्य मलेशिया है, वहां गृह मंत्री अथवा उप गृह मंत्री की सरकारी मोहर लगाकर हो; अथवा

(ग) यदि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून द्वारा यथा अनुमत किसी अन्य तरीके से अधिप्रमाणित की गई हो।

और यदि वारंट, अपराधस्वीकृति, वक्तव्य, प्रतियां, प्रमाणपत्र और न्यायिक दस्तावेज किसी गवाह के शपथ द्वारा अथवा उपरोक्त उपखंड (ख) में संदर्भित मंत्रियों की सरकारी मोहर के साथ अधिप्रमाणित होंगे, तो संविदाकारी राज्यों के न्यायालय ऐसे सरकारी मोहर को विधिमान्य रूप में देखेंगे और इस प्रकार अधिप्रमाणित दस्तावेजों को स्वीकार करेंगे तथा और किसी सबूत के बगैर उसे साक्ष्य के रूप में प्राप्त करेंगे ।

2. पैराग्राफ 1 में वर्णित अधिप्रमाणित दस्तावेजों को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाएगा, चारे शपथयुक्त अथवा प्रतिपुष्ट दस्तावेजों को अनुरोधकर्ता राज्य में अथवा किसी तीसरे राज्य में तैयार किया गया हो।

अनुच्छेद – चौदह

प्रतिनिधित्व और लागत

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध से उत्पन्न किन्हीं कार्यवाहियों में अनुरोधकर्ता राज्य को सलाह, सहायता प्रदान करेगा, उसकी ओर से न्यायालय में उपस्थित होगा और अनुरोधकर्ता राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के विधिक प्रतिनिधित्व के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा।

2. अनुरोधकर्ता राज्य दस्तावेजों के अनुवाद और अभ्यर्पित व्यक्ति के पारेषण, जिसमें रास्ते का खर्च भी शामिल है, से जुड़े खर्च का वहन करेगा। अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य प्रत्यर्पण कार्यवाहियों के कारण से उस राज्य में उपगत अन्य सभी खर्चों का भुगतान करेगा।

3. पैराग्राफ 2 में किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुरोधकर्ता राज्य में अनुरोध के कारण से किया जाने वाला खर्च अत्यधिक है अथवा असाधारण प्रकृति का है वहां संविदाकारी राज्य उस खर्च को वहन किए जाने के तरीकों का निर्धारण करने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे।

4. दोनों में से कोई संविदाकारी राज्य इस संधि के अंतर्गत वांछित व्यक्तियों की गिरफ्तारी, निरुद्धि, जांच या अभ्यर्पण से उत्पन्न कोई धन संबंधी दावा दूसरे संविदाकारी पक्षकार के खिलाफ नहीं करेगा।

अनुच्छेद – पंद्रह

परामर्श

भारत गणराज्य का विदेश मंत्रालय और मलेशिया के महान्यायवादी का चैंबर प्रत्येक विशिष्ट अनुरोध की प्रक्रिया के संबंध में और इस संधि के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया को बनाए रखने और उसमें आगे सुधार लाने के लिए एक-दूसरे से सीधे अथवा इंटरपोल सुविधा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

अनुच्छेद – सोलह

प्रत्यर्पण कार्यवाही का अधित्याग

1. यदि वांछित व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अधीन ऐसी सहमति से संबंधित सक्षम न्यायिक प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सलाह दिए जाने के उपरांत अनुरोधकर्ता राज्य के भूक्षेत्र में वापस लाने के लिए राजी हो जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसे आगे कोई कार्यवाही चलाए बगैर अभ्यर्पित कर सकता है।

2. इस अनुच्छेद के अनुसरण में किसी व्यक्ति का अभ्यर्पण अनुच्छेद-17 के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद – सत्रह

अभ्यर्पण

1. यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध को मंजूर किया जाता है तो संविदाकारी राज्यों के प्राधिकारी वांछित व्यक्ति के अभ्यर्पण की तारीख और स्थान के संबंध में सहमति करेंगे।

2. यदि वांछित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के भूक्षेत्र से उस राज्य के कानून द्वारा विनिर्धारित समयावधि के भीतर नहीं हटाया जाता, तो इस व्यक्ति को अभिरक्षा से मुक्त किया जा सकता है और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य बाद में उसी दुष्कृत्य के लिए प्रत्यर्पण से इंकार कर सकता है।

3. यदि किसी संविदाकारी राज्य के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियां प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को अभ्यर्पित और अपनी अभिरक्षा में लेने को वारित करती हैं तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा। संविदाकारी राज्य अभ्यर्पण के लिए एक नई तिथि के लिए सहमति करेंगे और वहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के प्रावधान लागू होंगे।

4. अनुरोधकर्ता राज्य को अभ्यर्पित किए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोध प्राप्त करने के बाद अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को ऐसी कार्यवाही के परिणामों की सूचना देगा और अनुरोध प्राप्त करने के बाद न्यायालय के अंतिम अधिनिर्णय की एक प्रति उसे प्रदान करेगा।

अनुच्छेद – अठारह
संपत्ति का अभ्यर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने कानून के अंतर्गत स्वीकृत सीमा तक वांछित व्यक्ति के कब्जे में पाई गई किसी संपत्ति को जब्त कर सकता है और उसे गिरफ्तार किए जाते समय अनुरोधकर्ता राज्य को अभ्यर्पित कर सकता है, जो प्रत्यर्पण संबंधी दुष्कृत्य को साबित करने के लिए साक्ष्य के रूप में सामग्री हो सकती है ।

2. यदि वांछित व्यक्ति की मृत्यु, गुमशुदगी अथवा फरारी के कारण उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, तो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित संपत्ति वापस कर दी जाए ।

3. यदि अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को व्यवहार्यता अनुसार शीघ्र संपत्ति वापस करने का संतोषजनक आश्वासन देता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य संपत्ति वापस कर सकता है ।

4. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य ऐसी संपत्ति की वापसी को आस्थगित भी कर सकता है, यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में यह साक्ष्य के रूप में आवश्यक है ।

5. ऐसी संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों का विधिवत सम्मान किया जाएगा ।

अनुच्छेद – उन्नीस
विशेषज्ञता की भूमिका

1. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य में निम्नलिखित के अलावा किसी अन्य मामले में हिरासत में नहीं रखा जाएगा, अभियोजित नहीं किया जाएगा अथवा दंड नहीं दिया जाएगाः

(क) ऐसे अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया है;

(ख) तथ्यों द्वारा प्रमाणित ऐसे कम अपराध, जिनपर प्रत्यर्पण आधारित; या

(ग) व्यक्ति के प्रत्यर्पण के बाद किया गया कोई अन्य अपराध; अथवा

(घ) कोई अन्य अपराध, जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कार्यपालक प्राधिकारी की सहमति प्राप्त है। इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजन सेः

(i) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को अनुच्छेद-8 में उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अपेक्षित हो सकता है; तथा

(ii) अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोध पर कार्रवाई के चलते प्रत्यर्पित व्यक्ति को 90 दिनों अथवा अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्राधिकृत इससे अधिक किसी अवधि के लिए हिरासत में रख सकता है।

2. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित कोई व्यक्ति इसके आत्मसमर्पण से पहले किए गए किसी अपराध के लिए किसी तीसरे देश को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सहमति के बिना प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है ।

3. इन अनुच्छेद के अंतर्गत पैराग्राफ 1 व 2 से किसी प्रत्यर्पित व्यक्ति की हिरासत, अभियोजन अथवा सजा या किसी तीसरे राज्य को उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगती, यदि उस व्यक्ति के पास अनुरोधकर्ता राज्य का भू-भाग छोड़ने के अवसर है, तथा

(क) यदि वह व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य का भू-भाग छोड़ देता है तथा स्वैच्छिक रूप से उस में लौट आता है; अथवा

(ख) यदि वह व्यक्ति उस अपराध में, जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया है, अंतिम रूप से रिहा होने के बाद अधिकार क्षेत्र छोड़ने के लिए स्वतंत्र होने के बावजूद 30 दिनों के भीतर अनुरोधकर्ता राज्य का भू-भाग नहीं छोड़ता ।

अनुच्छेद – बीस

पारगमन

1. कोई संविदाकारी राज्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा अन्य संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में पारगमन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, पारगमन के अनुरोध राजनयिक माध्यमों अथवा भारत गणराज्य के गृह मंत्रालय तथा मलेशिया के गृह मंत्रालय के मध्य प्रत्यक्ष रूप से अथवा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) के माध्यम से अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को स्वीकार्य डाक, तार, अनुलिपि इत्यादि जैसे किसी तरीके से किया जाएगा। इसमें प्रत्यर्पित किए जा रहे व्यक्ति का हुलिया तथा मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा। पारगमन करने वाले किसी व्यक्ति को पारगमन की अवधि के दौरान हिरासत में रखा जा सकता है ।

2. यदि परिवहन के लिए वायुयान का उपयोग किया जाता है अथवा संविदाकारी राज्य के भूभाग में वायुयान को उतारना निर्धारित नहीं है, तो किसी भी प्रकार से प्राधिकृत करना अपेक्षित नहीं है। यदि किसी संविदाकारी राज्य के भू-भाग में वायुयान को आकस्मिक रूप से उतारा जाता है, तो संविदाकारी राज्य का सुरक्षा अधिकारी पैराग्राफ 1 में किए गए प्रावधान के अनुसार पारगमन के लिए अनुरोध कर सकता है। संविदाकारी राज्य अन्य संविदाकारी राज्य से पारगमन के लिए अनुरोध प्राप्त होने तक भेजे जाने वाले व्यक्ति को हिरासत में रख सकता है तथा आकस्मिक रूप से वायुयान को उतारने के 96 घंटों के भीतर अनुरोध के प्राप्त होते ही पारगमन की अनुमति दी जाती है ।

अनुच्छेद – इक्कीस

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के अंतर्गत दायित्व

इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों, जिनके वे पक्ष हैं, से उत्पन्न संविदाकारी पक्षों के अधिकार व दायित्व प्रभावित नहीं होते ।

अनुच्छेद – बाईस

लागू होना

दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे को इस संधि के लागू करने के लिए अपनी संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने के बारे में लिखित राज्य से अधिसूचित करने को तारीख के बाद 30 दिनों के भीतर यह संधि लागू होगी ।

अनुच्छेद – तेईस

समाप्ति

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अन्य संविदाकारी पक्ष को राजनयिक माध्यमों से लिखित नोटिस देकर किसी भी समय इस संधि को समाप्त कर सकता है तथा यह समाप्ति अन्य संविदकारी पक्ष द्वारा ऐसे नोटिस को प्राप्त करने की तारीख के 6 महीने के बाद प्रभावी होगी ।

जिनके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किए जाने पर इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।

आज सन 2010 जनवरी मास के बीसवें दिन को नई दिल्ली में मलय, हिंदी और अंग्रेजी में 2 प्रतियों में संपन्न। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों में किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।"

भारत गणराज्य की सरकार के लिए

मलेशिया सरकार के लिए

[सं.टी.-413/19/1999 (पार्ट IV)]

उपेन्द्र सिंह रावत, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 25th April, 2017

G.S.R. 420(E).—WHEREAS, the Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia was signed at New Delhi on 20th day of January, 2010 and by a later notification dated the 13th day of January, 2011 Malaysia informed about the completion of its legal procedures for the entry into force of the said Treaty;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty entered into force with effect from the 13th February, 2011 in accordance with the provisions of Article 22 of the Treaty;

AND WHEREAS, the said Extradition Treaty is specified in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to Malaysia with effect from the date of entry into force of the said Extradition Treaty.

SCHEDULE

"Extradition Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of Malaysia

The Government of the Republic of India and the Government of Malaysia hereinafter referred to collectively as "Contracting States";

Desiring to provide for more effective cooperation between the two States in the suppression of crime by concluding a treaty on the reciprocal extradition of offenders;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
OBLIGATIONS TO EXTRADITE

The Contracting States agree to extradite to each other, upon request and pursuant to the provisions of this Treaty, persons whom the authorities in the Requesting State have accused or convicted of an extraditable offence within the jurisdiction of the Requesting State, whether such offence was committed before or after the entry into force of this Treaty.

ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCES

1. An offence shall be an extraditable offence if it is punishable under the laws of the Contracting States by a term of imprisonment for a period of not less than one year or with death.

2. An offence shall also be an extraditable offence if it consists of an attempt or a conspiracy to commit or an abetment of the commission of any offence described in paragraph 1.

3. An offence shall be an extraditable offence notwithstanding that it is one of a purely fiscal character.

4. For the purposes of this Article, an offence shall be an extraditable offence -

(a) whether or not the laws in the Contracting States place the acts of omissions constituting the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology; or

(b) whether or not under the laws of the Contracting States the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as presented by the Requesting State shall be taken into account.

ARTICLE 3
NATIONALITY

1. Extradition of own national is permissible under this Treaty.

2. If extradition of own national is not granted for an extraditable offence, the Requested State shall, at the request of the Requesting State and if the laws of the Requested State so allow, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.

3. For the purposes of this Article, nationality shall be determined as at the time of the commission of the offence.

ARTICLE 4
JURISDICTION

1. If the Requested State considers that the offence was committed within its jurisdiction, it may deny extradition. For the purpose of this paragraph, jurisdiction means the territory of the Requested State, its air space and territorial waters or maritime zone in which it is claiming jurisdiction, and any vessel or aircraft registered in that State if such aircraft or vessel is on the high seas or in flight. If extradition is denied pursuant to this paragraph, the Requested State shall submit the case to its competent authorities for prosecution.

2. If the competent authorities of the Requested State are unable to proceed with the prosecution in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

3. If the offence has been committed outside the territory of the Requesting State, extradition shall be granted if the laws of the Requested State provide for punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances, and if the requirements of extradition under this Treaty are otherwise met. If the laws of the Requested State do not so provide, the executive authority of the Requested State may, in its discretion, deny extradition.

ARTICLE 5
PRIOR PROSECUTION

1. Extradition shall not be granted when the person sought has been convicted, acquitted or pardoned in the Requested State for the offence for which extradition is requested.

2. Extradition shall not be precluded by the fact that the authorities in the Requested State have decided not to prosecute the person sought for the acts for which extradition is requested, or have decided to discontinue any criminal proceedings which have been instituted against the person sought for those acts.

ARTICLE 6
RESTRICTIONS ON SURRENDER

1. A fugitive offender shall not be surrendered if the Requested State is satisfied that-

(a) the offence of which that person is accused of or was convicted is an offence of a political character; or

(b) if the prosecution for the offence in respect of which his return is sought is, according to the laws of the Requesting State barred by time.

2. For the purposes of this Treaty, the following offences shall not be considered to be of a political character -

(a) murder or other willful crime against the person of a Head of State or Head of Government of one of the Contracting States, or a member of his immediate family; or

(b) an offence for which the Contracting States have the obligation pursuant to a multilateral/international treaty to extradite the person sought or to submit the case to their competent authorities for decision as to prosecution; or

(c) an attempt, abetment or a conspiracy to commit any of the foregoing offences.

3. The executive authority of the Requested State may refuse extradition -

(a) for offences under military law which are not offences under ordinary criminal law; or

(b) if it appears by reasons of -

(i) the trivial nature of the case; or

(ii) the application for the return not being made in good faith or in the interests of justice or being made for political reasons or for any other reason, it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to return the person to the Requesting State.

ARTICLE 7
DEFERRED SURRENDER

1. The Requested State may, after making its decision on the request for extradition, postpone the surrender of the person sought, in order to proceed against that person, or if that person has already been convicted, in order to enforce a sentence imposed for an offence other than that for which extradition is sought. In such a case, the Requested State shall advise the Requesting State accordingly.

2. The Requested State may, instead of postponing surrender, temporarily surrender the person sought to the Requesting State in accordance with conditions to be determined between the Contracting States.

ARTICLE 8
PROCEDURE AND DOCUMENTATION

1. A request for extradition shall be made in writing. The request, supporting documents and subsequent communications shall be transmitted through diplomatic channels, and the channels of communications shall be in accordance with the procedures designated by the Contracting States.

2. A request shall be supported by statutory declarations or statements given on oath or affirmed before a competent authority of the Requesting State setting out –

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information that may help to establish that person’s identity, nationality and location;

(b) information describing the facts of the offences;

(c) the text of the relevant provisions of the law creating the offence (including case laws, if any) and a statement of the law relevant to the offence and a statement of the penalty that can be imposed for the offence; and

(d) the documents, statements, or other types of information or evidence specified in paragraph 3 or 4 of this Article, as applicable.

3. A request for extradition of a person who is sought for prosecution shall, in addition to the information referred in paragraph 2, also be supported by statutory declarations or statements given on oath or affirmed before any competent authority of the Requesting State setting out -

(a) a warrant or order of apprehension, issued by a court or other competent judicial authority or a certified copy of that warrant or order;

(b) a copy of the charging document or a report/statement containing the particulars of the acts and/or omissions constituting the alleged offence, including an indication of the time and place of its commission, submitted before the court of the Requesting State; and

(c) such evidence as according to the laws of the Requested State that would establish, according to the evidentiary standards of the Requested State that the person is a party to the offence committed to justify his committal for trial if the offence had been committed under the laws of the Requested State PROVIDED THAT neither State shall require, as a condition to extradition pursuant to this Treaty that the other State prove a prima facie case against the person sought.

4. A request for extradition relating to a person who has been convicted and sentenced or convicted but not yet sentenced shall also be supported by statutory declarations or statements given on oath or affirmed before any competent authority of the Requesting State setting out -

(a) a certified copy of the judgment of conviction, or, if such copy is not available, a statement by a judicial authority that the person has been found guilty;

(b) information establishing that the person sought is the person to whom the finding of guilt refers; and

(c) a certified copy of the sentence imposed, if the person sought has been sentenced, and a statement establishing the extent to which the sentence has been carried out.

ARTICLE 9

PROVISIONAL ARREST

1. In case of urgency, a Contracting State may request the provisional arrest of the person sought pending presentation of the request for extradition. An application for provisional arrest may be forwarded through the diplomatic channels as specified in Article 8 or through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL).

2. The application for provisional arrest shall contain -

(a) a description of the person sought;

(b) the location of the person sought, if known;

(c) a statement of the facts of the case, including the offence alleged to have been committed and the time and place of commission of the offence;

(d) a description of the laws violated;

(e) a copy of, or a statement of the existence of, a warrant of arrest or a finding of guilt or judgment of conviction against the person sought; and

(f) a statement that a request for extradition for the person sought will follow.

3. On receipt of the application, the Requested State shall take appropriate steps to secure the arrest of the person sought. The Requesting State shall be notified without delay of the disposal of its application and the reasons for any denial.

4. A person who is provisionally arrested may be discharged from custody upon the expiration of sixty (60) days from the date of provisional arrest pursuant to this Treaty if the executive authority of the Requested State has not received the formal request for extradition and the supporting documents required in Article 8. Upon application of the Requesting State, this period may be extended up to an additional thirty (30) days.

5. The discharge of the person from custody pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prevent the subsequent re-arrest and extradition of that person if the extradition request and supporting documents are subsequently received at a later date.

ARTICLE 10
ADDITIONAL DOCUMENTATION

1. If the Requested State considers that the documents furnished in support of the request for the surrender of a person sought are not sufficient to fulfill the requirements of this Treaty, that State shall request the submission of necessary additional documents. The Requested State may set a time-limit for the

submission of such documents, and may grant a reasonable extension of the time-limit upon application of the Requesting State setting forth reasons thereof.

2. If the person sought is in custody and the additional documents submitted are not sufficient, or if such documents are not received within the period specified by the Requested State, that person may be discharged from custody. Such discharge shall not prejudice the re-arrest and the surrender of the person if the additional documents are subsequently received.

ARTICLE 11

CONCURRENT REQUESTS

If the Requested State receives requests from the other Contracting State and from any other State or States for extradition of the same person, either for the same offence or for a different offence, the executive authority of the Requested State shall determine as to which State it will surrender the person. In, making its decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to –

(a) whether the requests were made pursuant to any treaties;

(b) the place where each offence was committed;

(c) the respective interests of the Requesting States;

(d) the gravity of the offences;

(e) the nationality of the victim;

(f) the possibility of further extradition between the Requesting States; and

(g) the order in time in which the requests were received from the Requesting States.

ARTICLE 12

TRANSLATION

1. All documents submitted by the Requesting State shall be translated into the English language unless this requirement is waived by the Requested State.

2. Any documents submitted in support of any requests under this Treaty which were previously translated from the language of the Requesting State shall be duly certified as the correct translation by a competent authority of the Requesting State.

ARTICLE 13

AUTHENTICATION OF DOCUMENTS

1. The warrant of arrest or judicial documents establishing the existence of the conviction, and any deposition or statements or other evidence given on oath or affirmed before any competent authority or any certified copy thereof, shall be received in evidence in any proceedings for extradition -

(a) if authenticated in the case of a warrant by being signed, or in the case of any other original document by being certified by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State, or in the case of a copy by being certified to be true copy of the original; and

(b) where the Requesting State is the Republic of India, by being sealed with the official seal of the Minister of External Affairs or Minister of State for External Affairs and where the Requesting State is Malaysia, by being sealed with the official seal of the Minister of Home Affairs or the Deputy Minister of Home Affairs; or

(c) If it is authenticated in such other manner as may be permitted by the laws of the Requested State.

And if the warrant, depositions, statements, copies, certificates and judicial documents are authenticated by the oath of some witness or sealed with the official seal of the Ministers referred to in such

clause (b) above, the courts of the Contracting States shall take judicial notice of such official seal and shall admit the documents so authenticated and receive in evidence without further proof.

2. The authenticated documents described in paragraph 1 shall be received in evidence in the Requested State irrespective of whether the sworn or affirmed documents were made in the Requesting State or in some third State.

ARTICLE 14
REPRESENTATION AND COSTS

1. The Requested State shall advise, assist, appear in court on behalf of the Requesting State and represent the interests of the Requesting State, or otherwise make the necessary arrangements for the Requesting State's legal representation, in any proceedings arising out of a request for extradition.

2. The Requesting State shall bear the expenses related to the translation of documents and the transportation of the person surrendered including transit costs. The Requested State shall pay all other expenses incurred in that State by reason of the extradition proceedings.

3. Notwithstanding paragraph 2, where expenses incurred in the Requested State by reason of the request are substantial or extraordinary in nature, the Contracting States shall consult each other to determine the manner in which the cost shall be borne.

4. Neither Contracting State shall make any pecuniary claim against the other Contracting State arising out of the arrest, detention, examination or surrender of persons sought under this Treaty.

ARTICLE 15
CONSULTATION

The Ministry of External Affairs of the Republic of India and the Attorney General's Chambers of Malaysia may consult with each other directly or through the facilities of INTERPOL in connection with the processing of each particular request in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

ARTICLE 16
WAIVER OF EXTRADITION PROCEEDINGS

1. If the persons sought consents to return to the jurisdiction of the Requesting State after personally being advised by a competent judicial authority of the effect of such consent under the laws of the Requested State, the Requested State may surrender him without further proceedings.

2. The surrender of a person pursuant to this Article shall be in accordance with Article 17.

ARTICLE 17
SURRENDER

1. If the request for extradition is granted, the authorities of the Contracting States shall agree on the date and place for the surrender of the person sought.

2. If the person sought is not removed from the territory of the Requested State within the time prescribed by the laws of that State, that person may be discharged from custody, and the Requested State may subsequently refuse extradition for the same offence.

3. If circumstances beyond its control prevent a Contracting State from surrendering or taking over the person to be extradited, it shall notify the other Contracting State. The Contracting State shall agree to a new date for surrender and the provisions of paragraph 2 of this Article shall apply.

4. Upon the completion of the proceedings against a person surrendered to the Requesting State, the Requesting State shall, upon request, inform the Requested State of the outcome of such proceedings and upon request provide it with a copy of the final court decision.

ARTICLE 18
SURRENDER OF PROPERTY

1. To the extent permitted under its laws, the Requested State may seize and surrender to the Requesting State any property found in the possession of the person sought at the time of his arrest which may be material as evidence in proving the extradition offence.

2. The property mentioned in paragraph 1 may be surrendered even when extradition of the person sought cannot be effected due to his death, disappearance or escape.

3. The Requested State may surrender the property upon satisfactory assurance from the Requesting State that the property will be returned to the Requested State as soon as practicable.

4. The Requested State may also defer surrender of such property if it is needed as evidence in the Requested State.

5. The rights of third parties in such property shall be duly respected.

ARTICLE 19
RULE OF SPECIALITY

1. A person extradited under this Treaty shall not be detained, tried or punished in the Requesting State or subjected to any other restriction of personal liberty except for -

(a) the offence for which extradition has been granted;

(b) any lesser offence proved by the facts on which his extradition was based;

(c) any offence committed after the extradition of the person;

or

(d) any other offence in respect of which the executive authority of the Requested State consents. For the purpose of this subparagraph -

(i) the Requested State may require the submission of the documents specified in Article 8; and

(ii) the person extradited may be detained by the Requesting State for ninety (90) days, or for such longer time as the Requested State may authorize, while the Request is being processed.

2. A person extradited under this Treaty shall not be extradited to a third State for an offence committed prior to his surrender unless the Requested State consents.

3. Paragraph 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial or punishments of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if that person had an opportunity to leave the territory of the Requesting State and -

(a) that person leaves the territory of the Requesting State and voluntarily returns to it; or

(b) that person does not leaves the territory of the Requesting State within thirty (30) days of his having been free to leave the jurisdiction after final discharge in respect of the offence for which that person was extradited.

ARTICLE 20
TRANSIT

1. Either Contracting State may authorize transportation through its area of a person surrendered to the other Contracting State by a third State. A request for transit shall be made through the diplomatic channels or directly between the Ministry of Home Affairs of the Republic of India and the Ministry of Home Affairs of Malaysia or through the International Criminal Police Organization (INTERPOL) by any means acceptable to the Requested State such as post, telegraph, facsimile etc. It shall contain a description of the person being transported and a brief statement of the facts of the case. A person in transit may be kept in custody during the period of transit.

2. No authorization is required where air transportation is used and no landing is scheduled in the territory of the Contracting State. In the event of an unscheduled landing in the territory of a Contracting State, the escorting officer of the Contracting State may request for transit as provided in paragraph 1. The Contracting State shall detain the person to be transported until the request for the transit is received from the other Contracting State and the transit is effected, so long as the request is received within ninety six (96) hours of the unscheduled landing.

ARTICLE 21
OBLIGATIONS UNDER INTERNATIONAL CONVENTIONS/TREATIES

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

ARTICLE 22
ENTRY INTO FORCE

This Treaty shall enter into force thirty (30) days after the date on which the Parties have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of this Treaty have been complied with.

ARTICLE 23
TERMINATION

Either Contracting State may terminate this Treaty at any time by giving written notice through the diplomatic channels to the other Contracting State, and the termination shall be effective six (6) months after the date of receipt of such notice by the other Contracting State.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at New Delhi this 20th day of January 2010, in duplicate, in Hindi, Malay and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any discrepancy in any of the texts, the English text shall prevail."

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA	FOR THE GOVERNMENT OF MALAYSIA

[No. T-413/19/1999 (Pt.IV)]
UPENDER SINGH RAWAT, Jt. Secy. (CPV)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.